UPBJ010004032024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 44/2024

सरकार बनाम रवि जोशी आदि

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **रवि जोशी, अमर सिहॅ जोशी, अंकुश** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 13.11.2023 को समय करीब 12:00 बजे दिन व उसी दिन शाम को किसी समय वहद वादी का घर मौहल्ला रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रोकी के घर में घुसकर वादी व अमित को लाठी–डंडो से जान से मारने की नीयत से यह जानते हुए मारपीट कर चोटे पहुॅचायी यदि उन चोटो से वादी व चुटैल अमित की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **307/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादी रोकी के घर में घुसकर आपराधिक गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **452** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रोकी व अमित को लाठी–डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा रोकी व अमित को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.02.12 16:46:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा रोकी व अमित को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आप **रवि जोशी, अमर सिहॅ जोशी** ने वादी मुकदमा रोकी व अमित को जाति सूचक गन्दी–2 गालियॉ व जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा जान से मारने की नियत से लाठी–डंडो से मारकर चोटे पहुॅचायी। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (2) 5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 12–02–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण का दावा किया।

दिनॉक 12–02–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010004032024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 44/2024

सरकार बनाम रवि जोशी आदि

12–02–2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **रवि जोशी, अमर सिहॅ जोशी, अंकुश** जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र धारा 147, 148, 307, 323, 452, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट प्रेषित किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तरा द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 147,148 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभियुक्तो को उक्त आरोप में उन्मोचित किया जाए। विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा केवल तीन अभियुक्तो के विरूद्व आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तो के विरूद्व धारा 147, 148 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। उक्त आरोप के लिए 5 व्यक्तियो द्वारा अपराध किया जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रवि जोशी, अमर सिहॅ जोशी, अंकुश के विरूद्व धारा 307, 323, 452, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित विरचित किया जाए तथा अभियुक्तो को धारा 147,148 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

दिनॉक 12–02–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण रवि जोशी, अमर सिहॅ जोशी, अंकुश के विरूद्व धारा 307, 323, 452, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण का दावा किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 13–03–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 12–02–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।